

निबंधित

संचिका संख्या-ए0/नोट-33/15.....5785/जे0,

विधि विभाग

बिहार सरकार

प्रेषक,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

सिवान।

पटना, दिनांक-05-09-15

विषय:- नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को मूल में वापस लौटाने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि आपके न्यायमंडल में कार्यरत अधिवक्ताओं से नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु आपके द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्रों में से निम्नांकित आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण रहने के कारण मूल में लौटाया जाता है। प्रत्येक आवेदन पत्र में त्रुटि से संबंधित सूची संलग्न है। इस संबंध में लौटाये जा रहे आवेदन पत्रों को संबंधित अधिवक्ताओं को भेजते/प्राप्त कराते हुए इन्हें कृपया निदेशित किया जाय कि वे संबंधित त्रुटियों को दूर कर आपके माध्यम से आवेदन पत्र को आपके कार्यालय में प्राप्ति तिथि से 15 दिन के अन्दर त्रुटि सुधार कर आपके कार्यालय में प्राप्त कराये जिसे आपके कार्यालय द्वारा शीघ्र विधि विभाग को समय सीमा के अन्दर स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराया जाय अन्यथा उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत समझा जायेगा तथा बाद में प्राप्त किसी आपत्ति/अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

इस संबंध में आवश्यक सूचना विधि विभाग के वेबसाइट-www.law.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

अनु0:- संलग्न सूची एवं आवेदन पत्र।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।
05/09/15

जिला-सिवान

शुद्धिपूर्ण आवेदन पत्रों की सूची

12

क्र०सं०	आवेदक का नाम व पता	विभाग में आवेदन प्राप्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	4	5
1.	श्री अरूण कुमार सिंह, व० श्री राम सिंह, सिसवान धाला, लक्ष्मीपुर, सिवान, पिन-841226	09.11.2012	दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं है।
2.	श्री अनूप कु० सहाय, व० स्व० नंदजी सहाय, ग्रा०-मझवलिया, पो०-चकरा, जिला-सिवान, पिन-841226	19.05.2014	आवेदन पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अग्रसारित नहीं है।